(प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक भाग 4 (क), दिनांक 28-2-1986 में प्रकाशित)

## विधायी प्रारूपण विभाग

## अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 1986

संख्या प. 2 (28) विधायी। 85 :--राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुई एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

# राजस्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं. 11 सन् 1986)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुई]

राजस्थान के डकैती प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित अपराधों के होने को प्रभावी ढंग से रोकने की दृष्टि से कतिपय अपराधों को विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबन्ध करने हेतु तथा उनके शीघ्र विचारण और दण्ड के लिए तथा ऐसे अपराधों के किये जाने से अर्जित सम्पत्तियों की कुर्की के लिए और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:--

## अध्याय-1

## प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1986 है।

(2) यह 23 सितम्बर, 1985 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.--(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) अभिप्रेत है;

मूल्य : 1.95 पैसे



Scanned with CamScanner

(ख) "डकैती प्रभावित क्षेत्र" से राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में "अनुसूचित अपराध" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, जिसमें किसी डकैती का भाग-रूप या उसके डाले जाने से उद्भूत अथवा संसक्त कोई अपराध सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(घ) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में "अनुसूचित अपराधी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कोई भी अनुसूचित अपराध करता है या कर चुका है या जो किसी भी अनुसूचित अपराध के किये जाने का अभियुक्त कोई व्यक्ति है;

(ङ) "विशेष न्यायालय" से धारा 6 के अधीन गठित कोई न्यायालय अभिप्रेत है; और

(च) "विशेष न्यायाधीश" से किसी विशेष न्यायालय की पीठासीनता करने के लिए धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता या, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में उन्हें दिये गये हैं।

## अध्याय—2

## डकैती प्रभावित क्षेत्र और विशेष न्यायालयों का गठन

3. डकैती प्रभावित क्षेत्र की घोषणा.—किसी जिले या जिलों में या उसके या उनके किसी भाग या भागों में कोई अनुसूचित अपराध घटित हो जाने के सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या कोई भी अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें ऐसे जिले या जिलों या उसके या उनके किसी भाग या भागों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

4. पुलिस की सहायता करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होगा.—(1) कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने सम्बन्धी इत्तिला देकर पुलिस की सहायता करता है या इत्तला देने के लिए पुलिस की सहायता करने में लगा है या ऐसे अपराध के अन्वेषण में सहायता कर रहा है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत कोई लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया इस आशय का कोई प्रमाणपत्र कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पुलिस की सहायता करने में लगा हुआ है, उसमें वर्णित तथ्यों का निश्चायक सबूत होगा।



Scanned with CamScanner

5. जमानत की मंजूरी का विनियमन.—संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के किसी अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो तो, जमानत या उसके स्वयं के बन्ध-पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायेगा, जब तक कि,—

(क) अभियोजन-पक्ष को जमानत के आवेदन के विरोध का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) जहां अभियोजन-पक्ष जमानत के आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है :

परन्तु किसी अनुसूचित अपराध के किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जो कुल एक सौ अस्सी दिन की अवधि तक अभिरक्षा में रहा हो, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें न्यायालय अधिरोपित करना उचित समझे, जमानत पर छोड़ा जा सकेगा ।

6. विशेष न्यायालयों का गठन.—(1) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में किये गये अनुसूचित अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इतने विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी जितने ऐसे डकैती प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उनके सम्बन्ध में जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, आवश्यक हों ।

(2) किसी विशेष न्यायालय में एक एकल न्यायाधीश होगा जो राज्य सरकार के अनुरोध पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा में शब्द "नियुक्त" का वही अर्थ होगा जो संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में उसे दिया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह संहिता के अधीन सैशन न्यायाधीश या अपर सैशन न्यायाधीश के रूप में सेवा नहीं कर रहा हो ।

7. विशेष न्यायालय की अधिकारिता.—(1) संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई अनुसूचित अपराध केवल किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा ।

(2) किसी भी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका आरोप किसी अनुसूचित अपराधी पर, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन, उसी विचारण में लगाया जाये ।

8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.—(1) कोई विशेष न्यायालय किसी भी अनुसूचित अपराध का निम्नलिखित दशाओं में संज्ञान कर सकेगा—

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, कोई परिवाद प्राप्त होने पर; या

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में किसी पुलिस रिपोर्ट पर; या



Scanned with CamScanner

(ग) किसी भी व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी से प्राप्त इस इत्तिला या अपनी स्वयं की इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) कोई विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो किसी सैशन मामले के विचारण के लिए संहिता द्वारा उपबंधित है :

परन्तु कोई विशेष न्यायालय, जहां कहीं आवश्यक हो, संहिता की धारा 207 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और मामले का विचारण करने की कार्यवाही ऐसे कर सकेगा मानो मामला संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारण के लिए सैशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया हो।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों पर लागू होंगे तथा संहिता के उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय कोई सैशन न्यायालय समझा जायेगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जायेगा।

(4) किसी अनुसूचित अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संसगित रहे होने के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से कोई विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकेगा कि वह अपराध और, कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में उसके किये जाने से सम्बद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित उन सब परिस्थितियों का, जिनकी कि उसे जानकारी है, पूर्ण और सत्य प्रकट न करदे। इस प्रकार किया गया कोई क्षमादान संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा 307 के अधीन किया गया समझा जायेगा।

(5) कोई विशेष न्यायालय उसके द्वारा सिद्धदोष ठहराये गये किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को उस अपराध के लिए जिसके लिए कि ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है, विधि द्वारा विहित कोई भी दण्डादेश दे सकेगा।

## अध्याय—3

## अपराध और शास्ति

9. लोक सेवक के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए दण्ड.—कोई अनुसूचित अपराधी, जो हत्या का कोई अपराध करता है या किसी लोक सेवक के विरुद्ध या किसी लोक सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुसूचित अपराध करता है—

(क) यदि ऐसा कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय हो तो, उक्त संहिता में उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा ; और



Scanned with CamScanner

(ख) अन्य मामलों में ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.---इस धारा और धारा 10 के प्रयोजनों के लिए किसी लोक सेवक के कुटुम्ब के सदस्य से उसके माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्रियां, पौत्र-पौत्रियां और प्रपौत्र-प्रपौत्रियां और उनके पति-पत्नियां अभिप्रेत हैं तथा इसमें ऐसे लोक सेवक पर आश्रित और उसके साथ निवास करने वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा।

10. मृत्यु दण्ड न दिये जाने के कारणों का अभिलिखित किया जाना.---संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या या किसी लोक सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की हत्या के सम्बन्ध में दोषसिद्धि की गयी हो और मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो तो निर्णय में, मृत्युदण्ड न देने के विशेष कारणों का कथन किया जायेगा।

11. साधारणतः अनुसूचित अपराधों के लिए दण्ड.--- ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कोई अनुसूचित अपराध करता है, यदि इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में किसी भी विनिर्दिष्ट दण्ड का उपबन्ध नहीं है और वह अपराध धारा 9 के अधीन भी दण्डनीय नहीं है तो, ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

12. ऐसी सम्पत्ति, जिसका कि हिसाब समाधानप्रद रूप से न दिया जा सके, कब्जे में रखने के कारण दण्ड.---जहां किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाला कोई व्यक्ति, उस क्षेत्र में या राजस्थान में कहीं अन्यत्र ऐसी सम्पत्ति कब्जे में रखता पाया जाये जिसके लिए वह समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सके और जो किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गयी हो वहां वह कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा:

परन्तु यदि और जब विशेष न्यायालय द्वारा धारा 17 के अधीन छोड़ दिये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये तो अभियुक्त को, चाहे विचारण किसी भी प्रक्रम में हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो तत्काल छोड़ दिया जायेगा तथा उसकी दोषसिद्धि, यदि कोई हो, के लिए यह समझा जायेगा कि वह कभी हुई ही नहीं थी।

13. कारावास की न्यूनतम कालावधि.---धारा 11 और 12 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड तीन वर्ष का कोई कारावास होगा।

## अध्याय – 4

## सम्पत्ति की कुर्की और निर्मुक्ति

14. सम्पत्ति की कुर्की.---(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले किसी व्यक्ति ने धारा 12



Scanned with CamScanner

को कोई घोषणा कर सकेगा और
के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है तो वह इस आशय की विश्वास ऐसी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा जिसकी बाबत ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास है ।

(2) संहिता के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उप-धारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक कुर्की पर लागू होंगे ।

(3) संहिता में अन्यथा अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) के अधीन कुर्क की गयी किसी भी सम्पत्ति के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और ऐसे किसी प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति का उसके सर्वोत्तम हित में प्रबन्ध करने की समस्त शक्तियां होंगी ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उसके समुचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता उपलब्ध करा सकेगा ।

(5) उप-धारा (4) के अधीन उपलब्ध करायी गयी पुलिस सहायता से संबंधित व्यय को सम्मिलित करते हुए सम्पत्ति के प्रबन्ध पर उपगत व्यय ऐसी सम्पत्ति पर प्रभार होगा ।

15. <u>सम्पत्ति की निर्मुक्ति</u>.—(1) जहां धारा 14 के अधीन कोई सम्पत्ति कुर्क की जाये वहां उसका स्वामी कुर्की की जानकारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर वे परिस्थितियां जिनमें, तथा वे साधन जिनके द्वारा उसने वह सम्पत्ति अर्जित की थी, बतलाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट को उप-धारा (1) के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान हो जाय तो वह सम्पत्ति को कुर्की से तत्काल निर्मुक्त कर सकेगा और इसके पश्चात् सम्पत्ति, उस पर प्रभारित सभी व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, लाभों के, यदि कोई हों, साथ-साथ, उसके स्वामी में निहित हो जायेगी ।

16. <u>सम्पत्ति के अर्जन की प्रकृति की विशेष न्यायालय द्वारा जांच</u>.—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को धारा 15 के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान नहीं हो तो वह अपनी रिपोर्ट सहित मामला अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को यह विनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट करेगा कि आया सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने से या उसके परिणामस्वरूप अर्जित किया गया था या नहीं ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया निर्देश प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जांच के लिए कोई तारीख नियत करेगा और अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को तथा राज्य को नोटिस देगा । इस प्रकार नियत की गयी तारीख को या किसी ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख को, जिसके लिए जांच स्थगित की जाये, विशेष न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई करेगा, उनके द्वारा पेश किया गया साक्ष्य लेगा, ऐसा और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे तथा निर्देश पर विनिश्चय करेगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन की जांच करने के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908



Scanned with CamScanner

(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन, किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है, अर्थात्—

(क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) निर्देश को व्यतिक्रम के कारण खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के कारण खारिजी के किसी आदेश को या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; या

(ज) कोई भी अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन की किसी भी कार्यवाही में यह साबित करने का भार सम्पत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा कि धारा 15 के अधीन के अभ्यावेदन में वर्णित सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने से या उसके परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था।

17. सम्पत्ति का अधिहरण.—यदि विशेष न्यायालय यह पाये कि सम्पत्ति किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने से या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तो वह उक्त सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश देगा और अपने आदेश के निष्पादन के लिए अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट को भेज देगा तथा अन्य किसी भी स्थिति में सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त करने का आदेश दिया जायेगा।

## अध्याय—5

## अपीलें

18. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तब तक किसी भी अपील का न हो सकना.—इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी आदेश या विनिश्चय, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय, अपीलीय नहीं होगा।

19. दोषसिद्धि से अपील.—इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा किये गये किसी विचारण में सिद्धदोष ठहराया गया कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।



Scanned with CamScanner

20. दोषमुक्ति से अपील.——राज्य सरकार किसी भी मामले में इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा किये गये दोषमुक्ति के किसी आदेश की उच्च न्यायालय में कोई अपील पेश करने का लोक अभियोजक को निदेश दे सकेगी।

21. संहिता के उपबन्धों का अपीलों पर लागू होना.——संहिता के अध्याय 29 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, धारा 19 या धारा 20 के अधीन की गयी प्रत्येक अपील पर लागू होंगे।

22. धारा 17 के अधीन के आदेश के विरुद्ध अपील.——विशेष न्यायालय द्वारा धारा 17 के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

## अध्याय–6

## विविध

23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.——किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसे अवधारित करने के लिए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन सशक्त किया गया है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के द्वारा सम्पत्ति की कुर्की या अधिहरण में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यादेश या अन्तर्वर्ती आदेश नहीं दिया या किया जायेगा।

24. व्यपहरण और अपहरण के सम्बन्ध में उपधारणा.——इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध के किसी विचारण में, जहां यह साबित हो जाये कि——

(क) अभियुक्त ने किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है वहां, जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के लिए किया है; या

(ख) अभियुक्त ने किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र से व्यपहृत या अपहृत किसी भी व्यक्ति को सदोष छिपा लिया है या परिरुद्ध कर लिया है वहां, जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए छिपाया या परिरुद्ध किया है कि ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार व्यपहरण या अपहरण किया गया है।

25. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए परित्राण.——(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

(2) धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त न करली गयी हो।



Scanned with CamScanner

26. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में उससे असंगत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे।

27. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी या किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो तब, कुल तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन किन्हीं ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) राजस्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश सं. 7), एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी सभी बातें या कार्रवाइयां इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायेंगी।

## अनुसूची

(1) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 216क, 302, 303, 304, 307, 308, 311, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 और 511 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(2) किसी भी व्यक्ति का फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण।

(3) फिरौती के लिए किसी भी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के लिए जमा होना या तैयारी या प्रयास करना।

(4) डकैती डालने के लिए आयुध या गोला बारूद या विस्फोटक बनाना या सुधारना या उनके बनाने या सुधारने, खरीदने, बेचने, कब्जे में रखने, व्ययनित करने या उनका प्रदाय करने या उन्हें ले जाने की प्रक्रिया का कोई भाग सम्पादित करना।

(5) किसी अपहरणकर्ता या किसी व्यपहरणकर्ता के लिए फिरौती तय करवाने में मध्यस्थता करना या उसके संदाय के लिए प्रतिभू होना।



Scanned with CamScanner

(6) डकैती डालने के पूर्व या पश्चात् जमा हुए या डकैती डालने की तैयारी कर रहे व्यक्तियों के लिए जासूसी करना।

(7) ऊपर वर्णित सभी अपराध या उनमें से कोई भी अपराध करने वाले व्यक्तियों से फायदे प्राप्त करना।

एस. आर. भंसाली,
शासन सचिव।

## *LEGISLATIVE DRAFTING DEPARTMENT*

## NOTIFICATION

*Jaipur, February 28, 1986.*

*No. F. 2(28) Vidhai/85.*—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Dakaity Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1986 (Adhiniyam Sankhya 11 San 1986):—

*English Translation*

# THE RAJASTHAN DACOITY AFFECTED AREAS ACT, 1986

(*Act No. 11 of 1986*)

[*Received the assent of the President on the 26th day of February, 1986.*]

*An*
*Act*

*to make provisions for specifying certain offences in the dacoity affected areas of Rajasthan in order to curb effectively the commission of scheduled offences and to make provisions for speedy trial and punishment thereof and for the attachment of properties acquired through the commission of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER—I
### Preliminary

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Dacoity-Affected Areas Act, 1986.



Scanned with CamScanner